

कार्यालय, प्राचार्य, एस.एन.के.पी. राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना
 फोन नं.- 01574-230063 ई-मेल: snkpgovtcollegeneemkathana@gmail.com
 क्रमांक: एफ () राकानी/ 2021/233 दिनांक: 24.06.2021

विज्ञप्ति

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 1 () स्था./ आकाशि/ मे.पे./ 2021-1255 दिनांक 11.06.2021 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 662) वित्त/ सा.वि.ले.नि./ 2021, दिनांक 30.03.2021 की अनुपालना में महाविद्यालयों में अध्ययन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए “विद्या सम्बल योजना” के अन्तर्गत निम्न विषयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में परिपत्र के बिन्दु संख्या 4 (क) में वर्णित स्तर से बिन्दु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन आवेदन दिनांक 20.07.2021 सायंकाल 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। पात्र अभ्यर्थी मूल आवेदन व्यक्तिशः या डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों से निर्धारित शपथ पत्र लेकर कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य करवाया जावेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप, न्यूनतम योग्यता, शर्तों, शपथ पत्र एवं अधिक जानकारी के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcneemkathana> को देखें।

क्र.सं.	विषय का नाम	रिक्तियों की संख्या	महाविद्यालय का नाम
1.	अंग्रेजी साहित्य	02	
2.	इतिहास	02	
3.	भूगोल	02	
4.	प्राणीशास्त्र	01	
5.	व्यावसायिक प्रशासन	01	एस.एन.के.पी. राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना, जिला- सीकर
6.	ई.ए.एफ.एम.	01	
1.	अंग्रेजी साहित्य	01	राजकीय महाविद्यालय
2.	राजनीति विज्ञान	01	पाटन, जिला-सीकर

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना

DIPR/C/6146/2021 एवं नोडल अधिकारी, राजकीय महाविद्यालय, पाटन (सीकर)

विद्या संबल योजनान्तर्गत गैस्ट फैकल्टी हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

महाविद्यालय का नाम (जिसके लिए आवेदन किया है) :
आवेदित विषय

1. आवेदक का पूर्ण नाम (हिन्दी में) :
(In English Capital Letters) :
2. पिता का नाम (हिन्दी में) :
(In English Capital Letters) :
3. माता का नाम :
4. जन्म दिनांक :
5. मोबाइल नं. : वाट्सएप नं. :
6. स्थायी पता :

7. ई—मेल आई.डी. (Capital Letters) :
8. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :—

फोटो मय
हस्ताक्षर

क्र. सं.	कक्षा	बोर्ड/ विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण वर्ष	श्रेणी	कुल प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रतिशत
1.	10वीं					
2.	12वीं					
3.	स्नातक					
4.	अधिस्नातक					
5.	एम.फिल.					
6.	पीएच.डी.					
7.	जेआरएफ सहित नेट					
8.	नेट					
9.	स्लेट या सैट					

उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित अंकतालिकाओं की प्रति एवं प्रमाण पत्र संलग्न करें।

9. शोध प्रकाशन / शोधपरान्त अनुभव / पुरस्कार आदि का विवरण :

- I. शोध प्रकाशन का विवरण (सहकर्मी द्वारा समीक्षित या यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र ही मान्य होंगे) – लेखक / लेखकों का नाम, शोध पत्र का टाईटल, जर्नल का विवरण मय प्रकाशन तिथि की सूची एवं शोध पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करें।
- II. शिक्षण / पोर्स्ट डॉक्टरल अनुभव का विवरण मय प्रमाण।
- III. पुरस्कारों का विवरण –
 - (अ). अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किये गये पुरस्कारों का विवरण मय प्रमाण
 - (ब). राज्य स्तरीय स्तर पर प्राप्त किये गये पुरस्कारों का विवरण मय प्रमाण

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ

मैं शपथपूर्वक बयान करता / करती हूँ कि उपरोक्त वर्णित सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं यदि इन सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होऊंगी।

शपथगृहिता के हस्ताक्षर

प्रारूप

शपथ पत्र

मैं श्री/ श्रीमती/ कुमारी पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री
... विभाग (संस्थान का नाम) में दिनांक को गैरस्ट फैकल्टी
के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/ दे रही हूँ।

1. यह है कि मैंने विभाग/ संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक
के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ
लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र
क्रमांक प.6(2) वित्त साविलेनि 2021 दिनांक को अच्छे से पढ़/ समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य है तथा कोई तथ्य छिपाया
नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/ प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज
जो विभाग द्वारा अपेक्षित है (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता
परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भूपूर्सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया
सही है।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान
कूटरचित/ फर्जी अथवा गलत पायी जाती हैं तो मुझे गैरस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा।
जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक
कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/ करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान
करूंगा/ करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/ करती हूँ तो संस्था एक तरफा कार्यवाही
हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।
7. यह कि मैं स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/ करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैरस्ट
फैकल्टी पर रखा गया है उस पद के स्थानान्तरण/ नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर
गैरस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक
के होने पर आमन्त्रित शिक्षकों को उनकी बनायी गयी वरीयता सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक
को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर
या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं
करूंगा/ करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैरस्ट फैकल्टी के रूप में
नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया
जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और नहीं कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।
13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गेस्ट फेकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा/रखूंगी तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा/होउंगी।
15. यह कि मुझे ज्ञात है कि चूंकि यह व्यवस्था प्रति कालांश मानदेय भुगतान पर अधारित है अतः शपथग्रहिता को किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 01 से 15 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्ति नहीं किया है तथ न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तदायी रहूंगा/रहूंगी।

शपथग्रहिता